प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–एस0पी0एम0यू0 / मातृ स्वा0 / मा0संसा0 / 105–2 / 2016–17 / 5994–75 दिनांक ~~09.2016~~ 4.10.2016

विषय–राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में वर्ष 2016–17 हेतु मातृ स्वास्थ्य से सम्बन्धित संविदा स्टाफ नर्स के प्रथम छःमाही के मानदेय एवं दिशानिर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

आप अवगत हैं कि पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू. / मातृ स्वा0 / पी0आई0पी0 / 114 / 15–16 / 11737–75 दिनांक 22.03.2015 के माध्यम से मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रसव इकाइयों एवं रिक्त उपकेन्द्रों पर पूर्व से तैनात संविदा स्टाफ नर्स को वित्तीय वर्ष 2016–17 में परफार्मेन्स के आधार पर पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार यथावत कार्य करते रहने के निर्देश प्रेषित किये गये हैं। जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर 31 मार्च 2016 को जनपदों में 3698 संविदा स्टाफ नर्स कार्यरत थीं। इनके लिये प्रथम त्रैमास (अप्रैल–जून) वर्ष 2016–17 के लिये मानदेय की धनराशि इस कार्यालय के पत्रसंख्या–एस.पी.एम.यू. / मातृ0स्वा0 / मा0संसा0 / 105–3 / 2016–17 / 4442–75 दिनांक 11.08.2016 के माध्यम से निर्गत की चुकी है।

1. भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 वित्तीय वर्ष 2016–17 में भी प्रसव इकाइयों पर 4030 संविदा स्टाफ नर्स, के पद एवं मानदेय हेतु एफ0एम0आर0 कोड– A.8.1.1.2b में रू0 19060.00 प्रतिमाह की दर से धनराशि स्वीकृत प्रदान की गयी है। जिसमें से भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार पूर्व से कार्यरत 3581 हेतु 07 माह एवं 449 हेतु 03 माह के मानदेय हेतु जनपदों को अवमुक्त किये जाने वाली धनराधि में से पूर्व में अवमुक्त धनराशि को घटाकर शेष धनराशि रू0 2919.9920 लाख जनपदों को अवमुक्त की जा रही है। (संलग्नक–1) कतिपय जनपदों में 31 जनवरी, 2016 के बाद भी संविदा स्टाफ नर्स नियुक्तियॉ की गयी है। जनपदों द्वारा यह धनराशि कार्यरत संविदा ए0एन0एम0 की वास्तविक संख्या एवं कार्य अवधि के आधार पर व्यय की जा सकती है।
2. संविदा स्टाफ नर्सों के पदों की आवश्यकतानुसार चिन्हित **L-2** व **L-3** प्रसव इकाईयों पर चौबीस घंटे प्रसव सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये ही प्रदान की गयी है। सभी संविदा स्टाफ नर्स की तैनाती का अनुबन्ध सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये ही मान्य होगा और सभी अनुबन्ध 31 मार्च 2017 तक के लिये ही किये जायेंगे।
3. स्पष्ट किया जाता है कि संविदा स्टाफ नर्सों की तैनाती किसी भी स्थिति में **L-2** व **L-3** प्रसव इकाईयों के बाहर अथवा अक्रियाशील इकाई पर नहीं की जानी है। इनके पदों का इकाईवार आबंटन जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से किया जा सकता है किन्तु सभी इकाइयों के प्रसव भार तथा उपलब्ध नियमित स्टाफ नर्सों की स्थिति के आधार पर ही औचित्यपूर्ण आबंटन का प्रस्ताव जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।
4. संविदा स्टाफ नर्स नियमित स्टाफ नर्स की भांति ही सभी कार्य सम्पादित करेंगी। उनका उत्तरदायित्व है कि जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रसव सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करें। चिकित्सालय में एस0बी0ए0 मानकों पर लेबर रूम, ओ0टी0, ए0एन0सी0 व पी0एन0सी0 वार्ड में कार्य करना तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा आवंटित अन्य कार्य इनके उत्तर दायित्व हैं।

5. इन्हें एस0बी0ए0 अथवा/एवं दक्षता प्रशिक्षण में नामित किया जाये। यह एच0पी0डी0 जनपदों में इस प्रशिक्षण के पश्चात सामान्य प्रसव की पी0बी0आई0 के लिये पात्र होंगी।
6. यह सभी संविदा पद प्रसव इकाइयों के लिये ही स्वीकृत हैं। इन संविदा पदों पर पुरूष स्टाफ नर्सो को प्रसव इकाइयों पर तैनाती देते समय यह अवश्य जाँच लें कि उनका प्रसव अथवा0 ओ0टी0 कार्य में दक्षता प्रमाण पत्र उपलब्ध हो एवं सेवा पूर्व प्रशिक्षण के दौरान उनके द्वारा मिडवाइफरी विषय पर भी प्रशिक्षण लिया गया हो।
7. इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि पूर्व से कार्यरत सभी संविदा स्टाफ नर्स के प्रत्येक त्रैमास के कार्यों के मूल्यांकन पूर्व में प्रेषित किये गये **<u>मूल्यांकन प्रारूप–2 बी</u>** पर नियमित रूप से किया जाये। अनुबन्ध के लिए **<u>प्रारूप–3</u>** का प्रयोग किया जाय।
8. जनपदवार स्वीकृत पदों से अधिक पदों पर भर्ती किसी भी स्थिति में नहीं की जाय। इसमें पूर्व के वर्षों में स्वीकृत किये गये सभी पद समाहित हैं।
9. संविदा स्टाफ नर्स रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता अपनायी जाय एवं मानव संसाधन अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ द्वारा दिये दिशानिर्देशों के अनुरूप की जाय, तथा नियुक्ति प्रक्रिया तथा पूर्व से कार्यरत/नवचयनित कर्मचारी के सभी दस्तावेजो का रखरखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी की होगी।
10. संविदा स्टाफ नर्स रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी का पद के कार्य के अनुरूप स्किल परीक्षण किया जाना अतिआवश्यक होगा। यदि चयनित किये गये कर्मी का उच्च अधिकारी/निरीक्षण कर्ता द्वारा स्किल परीक्षण किया जाता है, और वह अपने कार्य में निपुण नहीं पाया जाता है, उस स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व नियुक्ति प्राधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी के जिम्मेदार होगे।
11. सभी संविदा स्टाफ नर्स का उत्तर प्रदेश स्टेट नर्सिंग काउन्सिल के अन्तर्गत पंजीकरण होना अनिवार्य है। भर्ती से पूर्व यह पंजीकरण प्राप्त कर लें।
12. सामान्य परिस्थितियों में संविदा स्टाफ नर्सों के रिक्त पदों पर पूरे वर्ष भर्ती जारी रखी जा सकती है। किन्तु उचित होगा कि आगामी 02 माह में यह भर्तियाँ पूर्ण कर ली जाये। जिन जनपदों में कोर्ट अथवा शासन द्वारा रोक हो वह इसके लिये प्रयास करें। समस्त भरे हुये संविदा स्टाफ नर्सों का विस्तृत विवरण संलग्न प्रारूप पर मातृ स्वास्थ्य अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ को ईमेल पर प्रेषित करें और अद्यतन भी करते रहें। (संलग्नक–2)
13. संविदा ए0एन0एम0 भर्ती में किसी प्रकार की अनमित्ता पाये जाने पर या न्यायालय सम्बन्धी प्रकरण में सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी जिम्मेदार होगा।
14. सभी संविदा स्टाफ नर्स को प्रत्येक माह की 08 तारीख तक अनिवार्य रूप से उसका मानदेय उसके आधार संख्या लिंक्ड बैक खाते में आहरित हो जाना चाहिये।
15. भारत सरकार द्वारा प्राप्त आर0ओ0पी0 वर्ष 2016–17 में उन संविदा कर्मियों के लिये 05 प्रतिशत मानदेय की वृद्धि स्वीकृत की गयी है जिन्होंने में एक वर्ष या अधिक की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो। संविदा कर्मी को 05 प्रतिशत की मानदेय वृद्धि एक वर्ष पूर्ण करने के बाद ही उसी तिथि से जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन उपरान्त स्वीकृत की जाये। इसमें किसी प्रकार की अनियमितता होती है तो उसके लिये सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी ही जिम्मेदार होंगे। यह वृद्धि उपलब्ध करायी जा रही धनराशि से ही प्रदान की जाये।

डा0 नीरा जैन
महाप्रबंधक (मातृ स्वास्थ्य)
एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पदों से अधिक भर्ती न करें। अन्यथा किसी भी अप्रिय स्थिति अथवा मुकदमें या हर्जाने के लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

<u>अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग–</u>

- जिला स्तर जिला स्वास्थ्य समिति सभी संविदा तैनातियों एवं पुर्नअनुबन्ध के लिये उत्तरदायी है।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपर्युक्तानुसार सभी संविदा कर्मियों की नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण कर एन0एच0एम0, उ0प्र0 को प्रत्येक त्रैमास अवश्य ही उपलब्ध करा दें। इनकी स्थिति प्रत्येक त्रैमास प्रेषित की जाने वाली के0पी0आई0–2 डिलीवरी प्वाइंट की रिपोर्ट पर भी अद्यतन कर दें।
- समस्त अभिलेखों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर संकलित किया जाये।
- अपने जनपद में सभी स्वीकृत संविदा पदों पर कर्मियों की औचित्यपूर्ण तैनाती का पूर्ण उत्तरदायित्व जिला स्वास्थ्य समिति एवं मुख्य चिकित्साधिकारी का ही है।
- संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार सभी संविदा कर्मियों का मानदेय इनके कार्यावधि के आधार पर ही दिया जायेगा।
- किसी भी कर्मी को किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
- प्राविधानित धनराशि का व्यय आबंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।
- धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आबंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिट, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- आबंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुये किया जाये।
- उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांक–एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/मा0संसा0/105–3/2016–17/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2 महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
3 समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4 समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
5 समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक,एन0एच0एम0,उ0प्र0।
6 समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक–एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
7 गार्ड फाइल।

(डॉ0 नीरा जैन)
महाप्रबन्धक मातृ स्वा0

Funds release for Salaries of contractual Staff Nurse - 2nd installment 2016-17

S.No.	Districts	Total contractual SNS positions sanctioned for 2016-17	working from before	vacant posts	9 mths salary for those working from before	3 montrhs salary against vanact positions	total funds Proposed to be made available	released previously as 1st Installment	being released as 2nd installment
	FMR Code					A.8.1.1.2.b			
1	Agra	75	75	0	100.065	0	100.065	42.885	57.1800
2	Aligarh	64	62	2	82.7204	1.1436	83.864	35.4516	48.4124
3	Allahabad	93	93	0	124.0806	0	124.0806	53.1774	70.9032
4	Ambedkar Nagar	48	48	0	64.0416	0	64.0416	27.4464	36.5952
5	Amethi	33	21	12	28.0182	6.8616	34.8798	11.436	23.4438
6	Amroha	36	36	0	48.0312	0	48.0312	20.5848	27.4464
7	Auraiya	22	22	0	29.3524	0	29.3524	10.2924	19.0600
8	Azamgarh	79	25	54	33.355	30.8772	64.2322	14.295	49.9372
9	Badaun	97	92	5	122.7464	2.859	125.6054	52.6056	72.9998
10	Baghpat	24	24	0	32.0208	0	32.0208	13.7232	18.2976
11	Bahraich	105	102	3	136.0884	1.7154	137.8038	58.3236	79.4802
12	Ballia	52	52	0	69.3784	0	69.3784	29.7336	39.6448
13	Balrampur	70	62	8	82.7204	4.5744	87.2948	38.8824	48.4124
14	Banda	44	44	0	58.7048	0	58.7048	25.1592	33.5456
15	Barabanki	50	13	37	17.3446	21.1566	38.5012	7.4334	31.0678
16	Bareilly	63	62	1	82.7204	0.5718	83.2922	36.0234	47.2688
17	Basti	50	50	0	66.71	0	66.71	28.59	38.1200
18	Bhadohi	27	27	0	36.0234	0	36.0234	15.4386	20.5848
19	Bijnor	65	65	0	86.723	0	86.723	36.5952	50.1278
20	Bulandshair	81	81	0	108.0702	0	108.0702	46.3158	61.7544
21	Chandauli	48	48	0	64.0416	0	64.0416	27.4464	36.5952
22	Chitrakoot	45	14	31	18.6788	17.7258	36.4046	8.0052	28.3994
23	Deoria	68	12	56	16.0104	32.0208	48.0312	38.8824	9.1488
24	Etah	32	32	0	42.6944	0	42.6944	18.2976	24.3968
25	Etawah	35	35	0	46.697	0	46.697	20.013	26.6840
26	Faizabad	79	24	55	32.0208	31.449	63.4698	12.5796	50.8902
27	Farrukhabad	32	30	2	40.026	1.1436	41.1696	17.154	24.0156
28	Fatehpur	64	64	0	85.3888	0	85.3888	36.5952	48.7936
29	Firozabad	59	58	1	77.3836	0.5718	77.9554	33.7362	44.2192
30	GB Nagar	18	18	0	24.0156	0	24.0156	10.2924	13.7232
31	Ghaziabad	29	27	2	36.0234	1.1436	37.167	15.4386	21.7284
32	Ghazipur	45	25	20	33.355	11.436	44.791	14.295	30.4960
33	Gonda	73	71	2	94.7282	1.1436	95.8718	40.5978	55.2740
34	Gorakhpur	78	78	0	104.0676	0	104.0676	44.6004	59.4672
35	Hamirpur	42	42	0	56.0364	0	56.0364	24.0156	32.0208
36	Hapur	27	27	0	36.0234	0	36.0234	15.4386	20.5848
37	Hardoi	95	95	0	126.749	0	126.749	54.321	72.4280
38	Hathras	34	32	2	42.6944	1.1436	43.838	18.8694	24.9686
39	Jalaun	60	58	2	77.3836	1.1436	78.5272	33.1644	45.3628
40	Jaunpur	88	71	17	94.7282	9.7206	104.4488	40.5978	63.8510
41	Jhansi	77	75	2	100.065	1.1436	101.2086	44.0286	57.1800
42	Kannauj	32	32	0	42.6944	0	42.6944	18.2976	24.3968
43	Kanpur Dehat	33	32	1	42.6944	0.5718	43.2662	18.2976	24.9686
44	Kanpur Nagar	61	61	0	81.3862	0	81.3862	34.8798	46.5064
45	Kasganj	33	11	22	14.6762	12.5796	27.2558	18.8694	8.3864
46	Kausambhi	65	58	7	77.3836	4.0026	81.3862	32.5926	48.7936
47	Kushinagar	29	29	0	38.6918	0	38.6918	16.5822	22.1096
48	Lakhimpur Kheri	125	123	2	164.1066	1.1436	165.2502	70.3314	94.9188
49	Lalitpur	50	49	1	65.3758	0.5718	65.9476	28.59	37.3576
50	Lucknow	79	79	0	105.4018	0	105.4018	45.1722	60.2296
51	Maharajganj	58	55	3	73.381	1.7154	75.0964	31.449	43.6474
52	Mahoba	29	29	0	38.6918	0	38.6918	16.5822	22.1096
53	Mainpuri	43	43	0	57.3706	0	57.3706	24.5874	32.7832
54	Mathura	50	50	0	66.71	0	66.71	28.59	38.1200
55	Mau	37	34	3	45.3628	1.7154	47.0782	18.8694	28.2088
56	Meerut	38	38	0	50.6996	0	50.6996	18.2976	32.4020
57	Mirzapur	59	47	12	62.7074	6.8616	69.569	33.1644	36.4046
58	Moradabad	36	36	0	48.0312	0	48.0312	20.5848	27.4464
59	Muzaffarnagar	37	37	0	49.3654	0	49.3654	21.1566	28.2088
60	Pilibhit	58	58	0	77.3836	0	77.3836	33.1644	44.2192
61	Pratapgarh	54	54	0	72.0468	0	72.0468	30.8772	41.1696
62	Raebareli	71	71	0	94.7282	0	94.7282	40.5978	54.1304
63	Rampur	29	29	0	38.6918	0	38.6918	16.5822	22.1096
64	Saharanpur	52	52	0	69.3784	0	69.3784	29.7336	39.6448
65	Sambhal	39	39	0	52.0338	0	52.0338	22.3002	29.7336
66	Shahjahanpur	69	69	0	92.0598	0	92.0598	39.4542	52.6056
67	Shamli	16	15	1	20.013	0.5718	20.5848	8.577	12.0078

S.No.	Districts	Total contractual SNS positions sanctioned for 2016-17	working from before	vacant posts	9 mths salary for those working from before	3 montrhs salary against vanact positions	total funds Proposed to be made available	released previously as 1st Installment	being released as 2nd installment
	FMR Code	A.8.1.1.2.b							
68	Shrawasti	46	46	0	61.3732	0	61.3732	26.3028	**35.0704**
69	Siddharth Nagar	40	17	23	22.6814	13.1514	35.8328	22.3002	**13.5326**
70	Sitapur	119	113	6	150.7646	3.4308	154.1954	67.4724	**86.7230**
71	SK Nagar	50	49	1	65.3758	0.5718	65.9476	28.59	**37.3576**
72	Sonbhadra	26	26	0	34.6892	0	34.6892	14.8668	**19.8224**
73	Sultanpur	59	10	49	13.342	28.0182	41.3602	5.718	**35.6422**
74	Unnao	59	55	4	73.381	2.2872	75.6682	33.7362	**41.9320**
75	Varanasi	43	43	0	57.3706	0	57.3706	24.5874	**32.7832**
	Total	**4030**	**3581**	**449**	4777.7702	**256.7382**	**5034.5084**	**2114.5164**	**2919.9920**

संलग्नक–2

मातृ स्वास्थ्य के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियो का विवरण

जनपद का नामः–

क्र0सं0	एफ0एम0आर0 कोड	मातृ स्वास्थ्य के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 की आर0ओ0पी0 के अनुसार कुल स्वीकति पदों की संख्या	दिनॉक 31.08.2016 तक कुल भरे हुये पदों की संख्या	कुल रिक्त पदों की संख्या	कार्यरत संविदा ए0एन0एम0,ए0एन0एम0, महिला चिकित्साधिकारी एवं विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी का विवरण																		मातृत्व अवकाश (अधिकतम 06 माह) का विवरण		
					क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	पिता / पति का नाम	लिंग (म0 / पु0)	अर्हकारी योग्यता	जन्मतिथि	आरक्षित श्रेणी	मोबाइल नं0	स्थाई पता	उ0प्र0 स्टेट मेडीकल फैक्लटी में पंजीकरण (हॉं / नहीं)	बैंक खाता संख्या	आधार कार्ड संख्या	प्रसव इकाई का स्तर जहॉं पर कार्यरत है। एल–1 / एल–2 / एल–3 / उपकेन्द्र	इकाई का नाम जहॉं पर कार्यरत है। (डी0सी0एच / डी0डब्ल0यू0एच0 / एफ0आर0यू0 / सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 / ए0पी0एच0सी0 / उपकेन्द्र)	ब्लाक का नाम	इस पद पर प्रथम योगदान तिथि	वर्तमान अनुबन्ध की अन्तिम तिथि	मानदेय प्रतिमाह	मातृत्व अवकाश आरम्भ होने की तिथि	मातृत्व अवकाश समाप्त होने की तिथि	मातृत्व अवकाश के बाद कार्यभार ग्रहण करने का दिनॉक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					1																				
					2																				
					3																				
					4																				
					5																				
					6																				